

मु.न.-.....15...../2024 /

पवन कुमार पुत्र मनोहर लाल जाति नाई निवासी वार्ड नं. 09 तारानगर जिला चूरु।

- प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

- अप्रार्थी -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 12/01/24.....

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही गोगटिया बाघावतान तहसील तारानगर के खसरा सं. 271/69 तादादी 4.9948 हेक्टेयर, खसरा सं. 59 तादादी 6.5754 हैक्ट., कुल तादादी 11.5702 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम पुनमचन्द पुत्र मनोहरलाल अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम पवन कुमार पुत्र मनोहर लाल सही हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम पवन कुमार पुत्र मनोहर लाल है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमावन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। जमावन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही गोगटिया बाघावतान तहसील तारानगर के खसरा सं. 271/69 तादादी 4.9948 हेक्टेयर, खसरा सं. 59 तादादी 6.5754 हैक्ट., कुल तादादी 11.5702 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम पवन कुमार पुत्र मनोहर लाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दिये प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट भू.अ.नि. बुचावास के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम पुनमचन्द पुत्र मनोहरलाल की जगह पवन कुमार पुत्र मनोहर लाल करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पुनमचन्द पुत्र मनोहरलाल ही दर्ज है। अतः प्रार्थी पुनमचन्द पुत्र मनोहरलाल की जगह पवन कुमार पुत्र मनोहर लाल दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया भू.अ.नि. बुचावास की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पृष्टि होती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही गोगटिया बाघावतान तहसील तारानगर के खसरा सं. 271/69 तादादी 4.9948 हेक्टेयर, खसरा सं. 59 तादादी 6.5754 हैक्ट., कुल तादादी 11.5702 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि पुनमचन्द पुत्र मनोहरलाल Delete कर इसके स्थान पर पवन कुमार पुत्र मनोहर लाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/24..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(Signature)
(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)